# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

ललिता देवी वगै0 बनाम सुनीता विजय वगै0

मुकदमा संख्या : 41/2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 03.11.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 व 2 को तलबी जरिये रजि0ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 07.11.2025 को पेश हों। | |
| | 07.11.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि के संबंध में पत्रावली मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 04.04.2023 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जावें। जिससे वादांकित भूमि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही हो सकें।<br>वकील अप्रार्थी सं0 3 व 4 ने अपनी बहस में वादांकित भूमि पर मौके पर अप्रार्थीगणो की जमीन पर प्रार्थीगण द्वारा अधिक भूमि पर कब्जा कर रखा है जो कि पूर्व हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण को अतिकमी माना गया है। और प्रार्थीगण का यह दावा करने का मुख्य उद्वेश्य अप्रार्थीगणों को हेरान परेशान करने के उद्वेश्य से किया गया है। यह दावा झुठे तथ्यों के आधार पर कोर्ट में दावों की संख्या बढाने व कोर्ट को गुमराह कर अटकाने व भटकाने के उद्वेश्य से किया गया दावे को इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगणों से अप्रार्थीगण सं0 3 व 4 को हर्जा खर्चा दिलाया जावे, ताकि कोर्ट में मुकदमों की संख्या नम्बर से कम की जावें। क्योकि प्रकरण चलने योग्य नही है तथा कोर्ट द्वारा मौका कमीश्नर नियुक्त कर वास्तविक तथ्यों की रिपोर्ट मंगवाई जावें। ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सकें।<br><br>पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करे पर प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 03.05.2024 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म करना उचित समझते है। अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 03.05.2024 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है।<br><br>निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूति मूल वाद के साथ हमफिता हों। | |